भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2565
दिनांक 14.12.2021/ 23 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

बैजबरुआ समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

†**2565. कुमारी अगाथा के. संगमा:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2014 में प्रस्तुत बैजबरुआ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और लागू की गई सिफारिशों और कार्यान्वयन के लिए लंबित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों, जो नस्लीय हिंसा का सामना कर रहे हैं, से रोकने और उनकी रक्षा करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) क्या देश भर के विश्वविद्यालयों में और परिसर के बाहर नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): बैजबरुआ समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में दिया गया है।

(ख): भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्य योजना बनाने, पूर्वोत्तर के लोगों की शिकायतों का निराकरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने और शोषण के किसी भी मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु प्रवर्तन एजेंसियों को संबंधित विषयों की जानकारी देने आदि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों को एडवाइजरी/निर्देश जारी किए हैं। देश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों द्वारा सामना किए गए जातीय भेदभाव से संबंधित मुद्दों की निगरानी करने और उनसे

जुड़ी शिकायतों का निराकरण करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक तीन सदस्यीय निगरानी (मॉनीटरिंग) समिति गठित की गई है, जिसमें दो सदस्य पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है।

(ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रमों में पूर्वोत्तर के इतिहास और विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत को शामिल करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में विशेष छात्रवृत्ति स्कीम की शुरूआत करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है और साथ ही, विनियम नामतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विद्यार्थियों की शिकायत का निपटान) विनियम, 2019, यूजीसी (उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2012 और विद्यार्थियों के अधिकार हेतु यूजीसी के दिशानिर्देश आदि जारी किए हैं, जिनमें जातीय भेदभाव के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों/निवासियों के साथ बातचीत करने और उनके मुद्दों, यदि कोई हो, का निराकरण करने के लिए विभिन्न जिलों में नोडल अधिकारी नामित करने के लिए कहा है।

******

<u>लोक सभा अता.प्र.सं. 2565 दिनांक 14.12.2021</u>

<u>अनुलग्नक "क"</u>

(I) बैजबरुआ समिति की कार्यान्वित की गई सिफारिशें

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए "दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)" द्वारा अधिवक्ताओं का पैनल बनाना।

(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर) की स्थापना करना और दिल्ली में अपर पुलिस उपायुक्त के रैंक का एक नोडल अधिकारी नामित करना।

(3) दिल्ली पुलिस में पूर्वोत्तर राज्यों से कार्मिकों की भर्ती करना।

(4) पूर्वोत्तर के युवाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नम्बर।

(5) बेसिक पाठ्यक्रमों और पदोन्नति संबंधी पाठ्यक्रमों के दौरान पूर्वोत्तर से जुड़े मुद्दों के बारे में दिल्ली पुलिस के सभी रैंकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम।

(6) दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के पूर्वोत्तर सेल के सहयोग से "पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूएनईआर)" द्वारा पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता- सह-संवेदीकरण कार्यक्रम।

(7) भाषा और संचार से संबंधित कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए मिजोरम और नागालैंड में हिंदी भाषा के शिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।

(8) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन करके खेल द्वारा पारस्परिक मेल-जोल का उपयोग करना।

(9) प्रतिभा की पहचान एवं विकास के लिए "खेलों इंडिया स्कीम" के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र से एथलिटों/खिलाड़ियों का चयन।

(10) इम्फाल (मणिपुर), गुवाहाटी (असम) और ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स" की स्थापना।

(11) इम्फाल (मणिपुर) में "राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर" की स्थापना करना।

(12) स्कूल/कॉलेज स्तरीय संवादों/विद्यार्थी को इधर-उधर भेजने के कार्यक्रमों के तहत लोगों को पूर्वोत्तर के बारे में शिक्षित करना।

(13) एनसीईआरटी की वर्तमान पुस्तकों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी विषय-वस्तुओं को शामिल करके पाठ्यक्रम में संशोधन करना।

(14) उड़ान स्कीम/ईशान उदय स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान।

(15) एनसीईआरटी की संकाय के सदस्यों के लिए "स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)" के तहत जातीय मुद्दों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े सामाजिक विज्ञान के अध्यापन पर सत्र का आयोजन करना।

(16) दूरदर्शन/ऑल इंडिया रेडियो/सामुदायिक रेडियो के समर्पित चैनलों को शुरू करके पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रीत करना।

(17) पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों की सहायता के लिए नोडल अधिकारी नामित करके पूर्वोत्तर के लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु "पूर्वोत्तर राज्य भवन" की भूमिका में वृद्धि करना।

(18) मेघालय भवन, नई दिल्ली, वेल्लोर और कोलकाता में शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना करना।

(19) पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों की आवास/किराए की समस्या को दूर करने के लिए जसोला छात्रावास की शुरूआत करना।

(20) पूर्वोत्तर क्षेत्र में "इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट" आयोजित करके पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना।

(21) पूर्वोत्तर के केंद्रीत विकास हेतु www.incredibleindia.org वेबसाइट पर पूर्वोत्तर के लिए जगह प्रदान करना।

(22) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (एनईजेडसीसी), दीमापुर" के माध्यम से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'डेस्टिनेशन नॉर्थ-ईस्ट' कार्यक्रम आयोजित करके पूर्वोत्तर की संस्कृति को बढ़ावा देना।

(23) "सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र" (अब नॉर्थ-ईस्ट काउंसिल कन्वेशन सेंटर के रूप में नाम परिवर्तित) के लिए सेक्टर 13 द्वारका, नई दिल्ली में भूमि आवंटित की गई है और निर्माण के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।

(24) रोहिणी दिल्ली में एक छात्रावास का निर्माण करने के लिए डीडीए से एक प्लॉट खरीदा गया है।

(।।) पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा और अन्य मामलों के बारे में बैजबरुआ समिति की अन्य सिफारिशों के संबंध में, विभिन्न स्टेकहोल्डरों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और गृह मंत्रालय इसकी नियमित तौर पर निगरानी करता है।

****